

- (2) Twentieth Report of the Committee on "Functioning and Expansion of Postal Network" relating to the Department of Posts (Ministry of Communications and Information Technology).

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Strict implementation of Law Preventing Child Marriages in Madhya Pradesh

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल): माननीय सभापति महोदय ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please speak in short. There are other Members also.

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: जी हां, मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगी, समय मैं सरला जी के लिए छोड़ दूंगी और मैं थोड़ा सा ही बोलूंगी।

श्री सभापति: नहीं, आप सरला जी के लिए मत छोड़िए, आप अपना ही पूरा कौजिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): सभापति जी, हमने कौन सा गुनाह किया है? हमें कौन से गुनाह की सजा मिल रही है? .

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: सभापति महोदय, यह मुद्दा हम लोगों ने कल ही दिया था, जो कि बहुत ही आवश्यक था। मध्य प्रदेश में एक महिला सरकारी अधिकारी शकुन्तला जी, जो कि असामाजिक तत्वों के द्वारा घायल की गई और जिनके हाथ काट लिए गए हैं। मैं उनके लिए पूर्ण न्यायिक जांच और अपराधियों को सख्त सजा की मांग करती हूँ। सभापति महोदय, आधो सदी से अधिक आजादी को बीत चुके हैं, अभी भी हमारा समाज अनेकों कुसंस्कारों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों से मुक्त नहीं हुआ है। उसमें से एक है बाल-विवाह। मध्य प्रदेश में अक्षय तिथि को जो एक सामूहिक बाल-विवाह होने जा रहा था उसी के लिए शकुन्तला जी यह जनजागरण अभियान चला रही थीं और इस मामले में कई दिनों से उसको श्रेयनिंग मिल रही थी। लेकिन उन्होंने सोचा कि वे समाज को जागरूक कर पाएंगी। यह अत्यन्त दुखद है कि उन पर रात के समय कुछ लोगों ने आक्रमण किया और उन्हें घर से निकाला और उनके दोनों हाथ काट डाले। वह अब बड़ी ही दुखद अवस्था में अस्पताल में हैं। मैं आपसे इन अपराधियों को पकड़े जाने और उनके लिए न्यायिक जांच कराने की मांग करती हूँ। धन्यवाद।

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): वहां के मंत्री जी का इस्तीफा भी लिया जाए। ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए। ... (व्यवधान) ... आप जरा मेरी सुनिए। ... (व्यवधान) ... शुक्ल जी, अगर आप इसे गंभीर मामला समझते तो आप अब तक नोटिस दे देते, आप महिलाओं को देखकर कहने लगे कि यह मामला गंभीर है। ऐसा मत कीजिए। ... (व्यवधान) ...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, I have given a notice.

श्री सभापति: मैं आपको एलाउ करूंगा। ... (व्यवधान) ... शुक्ल जी, डॉट डिस्टेंस, प्लीज, यह तरीका नहीं है, जब मरजो हो खड़े हो जाएं।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: धन्यवाद सभापति जी, मध्य प्रदेश के धार जिले के भानगढ़ में यह जो घटना घटी है जिसमें आई सी डी एफ की एक महिला कर्मचारी शकुन्तला वर्मा के दोनों हाथ काट दिए गए। उनका अपराध सिर्फ यह था कि वे अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन कर रही थीं। अक्षय तिथि के पूर्व भानगढ़ के गांव में जाकर उन्होंने उस गांव के लोगों को चेताया था कि वे बाल-विवाह की इस कुप्रथा पर राक लगाएं और उस दिन बाल-विवाह न हा। सभापति महादय, लेकिन अंधविश्वासों और कुलरकारों के बीच पॉस हुए हमारे समाज की प्रतिक्रिया कितने धिनीने रूप में सामने आई कि उस शकुन्तला वर्मा को अपने दाना हाथ गंवान पड़। सभापति महादय, सबसे अहम प्रश्न जो इस घटना में है, समाज की प्रतिक्रिया तो फिर भी हम समझ सकते हैं लेकिन उस राज्य के * अगर यह प्रतिक्रिया करते हैं कि जो काम महात्मा गांधी नहीं कर सक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का तो वह काम में कैसे कर सकता हू। इससे भी * नेतृत्व में चलने वाली सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री बाल-विवाह के आयोजनों में शामिल होते हैं और उसका कंसेट तक मौजूद हैं। ... (व्यवधान)

श्री सभापति: इसमें * का जिक्र नहीं होना चाहिए, अगर जिक्र किया है तो वह विन्यासित होगा।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, मैं किसका नाम नहीं लिया है, आप रिकार्ड चेक कर सकते हैं।

(श्री उपसभापति जी पीठसांन हुए)

उपसभापति जी, मैं इस सदन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंताजनक और हमारे आज के तनाम राजनीतिज्ञों के लिए जो सबसे ज्यादा चिंताजनक बात होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति का मतलब क्या है, हम समाज को बदलने का काम करते हैं, समाज में नीतियां निर्धारित करने का काम करते हैं और वैसे में अगर एक राज्य * इस तरह की बात करता है, जिससे हमने जो कानून बनाए हैं उन कानूनों की धज्जियां उड़ती हैं और उस राज्य का एक मंत्री और वह भी सामाजिक न्याय मंत्री किस तरह का सामाजिक न्याय उस देश की और उस राज्य की जनता को दे रहा है कि

*Extingued as ordered by the Chair.

खुलेआम बाल-विवाह के आयोजनों में शामिल होता है, जिसके कैंसेट तक मौजूद हैं। ऐसे में हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे कानूनों को कैसे लागू किया जाएगा। उपसभापति महोदय, * इसलिए इस सदन के जरिए मैं मध्य प्रदेश की सरकार को वहां के मंत्रों को भी यह संदेश देना चाहती हूँ कि इस तरह का आपराधिक कार्यवाही अगर हमारे नेता करेंगे तो उनके साथ मैं क्या सलूक किया गया? इस सदन को हमारे माननीय गृह मंत्री जी बताएं कि वहां के * उस मंत्री के खिलाफ कौन सा एक्शन और क्या कार्यवाही हुई? यह हमारे लिए * हमारे राजनेता इस तरह का धिनौना काम करेंगे और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो फिर आम लोगों से हम किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं। इतने वर्षों से कभी माहेलाओं को डाधन के नाम पर मार दिया जाता है, पत्थरों से मारा जाता है। उपसभापति जी, यह घटना बहुत ही चिंतनीय है और यह घटना एक प्रतीक है और इस घटना को एक प्रतीक के रूप में लेकर हमें सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना चाहिए। अगर महात्मा गांधी जैसे एक नहीं चार नेता हो जाते, कम से कम * को यह तो कहना चाहिए कि हां, मैं उस गांव में जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या हुआ, वह भी नहीं किया, उन्होंने एक तरह से हाथ खड़े कर दिये कि मे कुछ नहीं कर सकता हूँ।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप नाम मत लीजिएगा।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सर, मैंने नाम नहीं लिया है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: प्रो० राम देव भंडारी जी।...(व्यवधान).... आप संक्षेप में बोलिये।...(व्यवधान)...

प्रो० अलका क्षत्रिय (गुजरात): उपसभापति महोदय, मैं भी बोलना चाहती हूँ।...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल: उपसभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैं आपको बोलने का समय दूंगा, आप क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं।...(व्यवधान)....आप बैठ जाइये।...(व्यवधान).... भंडारी जी, संक्षेप में बोलिये। विषय एक ही है। आप जल्दी बोल दीजिए।

प्रो० राम देव भंडारी (बिहार): उपसभापति महोदय, मैंने सूचना दी थी। मेरा बोलने का नम्बर बाद में आया है, लेकिन मैंने सूचना पहले दी थी। माननीय उपसभापति जी, ...(व्यवधान)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, I just want to say ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will call you. ...*(Interruptions)*...

*Expunged as ordered by the Chair.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I do not want to speak. I just want to ask(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will call you.(Interruptions)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: No, Sir. It has connection with what Shrimati Sarlaji has said(Interruptions)...

प्रो० अलका क्षत्रिय: उपसभापति महोदय, मुझे भी बोलने का समय दे दीजिए।

श्री उपसभापति: आपको भी बोलने का समय देंगे। ... (व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will call you.(Interruptions)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: I just want to say one thing.(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I will call you.(Interruptions)...

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I want to speak before him. Sir, it is important to do things on time. Time is very important. That is why I want to say something connected with what Shrimati Sarlaji has said. I agree that the * of the State has done nothing. But what about our Ministers from the Central Government, especially the Minister for Women Empowerment? What have they done? They have not made a single statement, they have not conveyed anything to the people through television or through media.

श्री राजीव शुक्ल: उपसभापति महोदय,....(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बोल दीजिएगा। बाद में अगर गवर्नमेंट रेसपांस करती है, तो आप बोल दीजिएगा। चेयर तो रेसपांड नहीं कर सकती है।

प्रो० राम देव भंडारी: माननीय उपसभापति जी, देश को आजाद हुए 57 वर्ष हो गये हैं और हमने सामाजिक बुराईयों, कुरीतियों को रोकने के लिए कई कानून बनाये हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए भी कानून बनाया हुआ है मगर इसके बावजूद देश के कई राज्यों में बाल विवाह हो रहे हैं। सबसे अधिक संख्या में मध्य प्रदेश में बाल विवाह होते हैं।

महोदय, अक्षय तृतीया को विवाह के लिए बहुत पवित्र दिन माना जाता है। ऐसी संभावना होती है, कि उस दिन सैकड़ों की संख्या में सामूहिक बाल विवाह होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने सभी मुख्य मंत्रियों को, सभी मुख्य सचिवों को, सभी डी०जी०पी० को पत्र लिखा था कि

*Expunged as ordered by the Chair.

अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से सावधानी बरती जाये। जो बाल विवाह सामूहिक रूप से होते हैं या एकल रूप में भी होता है, उसको रोका जाये।

महोदय, यह बड़ी निंदनीय घटना हुई है। इस घटना की जितनी निंदा की जाये, जितनी भर्त्सना की जाये, वह कम है। आज भी इस देश में कानून लागू करने के लिए शकुंतला वर्मा के दोनों हाथ काटे जाते हैं। महोदय, मुख्यमंत्री ने कहा कि जब गांधी जी देश की सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक कुरीतियों को नहीं रोक सके, तो मैं क्या चीज़ होता हूँ। महोदय, इस तरह से* कहना उचित नहीं है। बाल विवाह को रोकने का जो कानून बनाया गया है, उनको इसे लागू करना चाहिए, इसके बजाय वे बाल विवाह का एक प्रकार से समर्थन कर रहे हैं।

श्री उपसभापति: भंडारी जी, आप खत्म करिये।

प्रो० राम देव भंडारी: महोदय, श्रीमती चन्द्रकला पांडेजी ने न्यायिक जांच की मांग की है। यह बहुत ही गम्भीर, चिंतनीय घटना हुई है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह राज्य सरकार को निर्देशित करे कि शकुंतला वर्मा की चिकित्सा अच्छी तरह से हो, उनको पूरा मुआवजा दिया जाये और इस घटना की न्यायिक जांच कराई जाये, यह मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ।

श्री उपसभापति: पहले महिलाओं को मौका देंगे। प्रो० अलका क्षत्रिय जी।

प्रो० अलका क्षत्रिय : उपसभापति महोदय, एक तरफ तो साइन्स एंड टेक्नालॉजी की बात करते हैं, 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप संक्षेप में बोल दीजिए। रिपीट मत कीजिए।...(व्यवधान)...

प्रो० अलका क्षत्रिय: उपसभापति महोदय, पहली बार महिलाओं के विषय पर बोलने का टाइम दिया है, इसे तो कम से कम सुन लीजिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप संक्षेप में बोल दीजिए। रिपीट मत कीजिए।...(व्यवधान)...

प्रो० अलका क्षत्रिय: उपसभापति महोदय, पहली बार महिलाओं के विषय पर बोलने का टाइम दिया है, इसे तो कम से कम सुन लीजिए।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए।

प्रो० अलका क्षत्रिय: अत्याचार करने वाले भी पुरुष हैं इसलिए यह बात नहीं सुन सकते।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बोलिए। आप वक्त का ख्याल रखते हुए बोलिए।

प्रो० अलका क्षत्रिय: उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि एक तरफ तो हम 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं या फिर साइंस और टेक्नॉलाजी की बात करते हैं, एक तरफ हम कल्पना चावला के स्पेस शटल में जाने पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज भी हमारे देश में महिलाओं की हालत क्या है? महिलाओं पर आये दिन अत्याचार होते हैं। दहेज के नाम पर उनको जिंदा जलाया जाता है। आप अखबार का पेज उलटकर देखिये, महिलाओं के साथ बलात्कार करने के किस्से रोज पढ़ने में आते हैं अगर उसको कोई रोकना चाहता है, तो जो रोकने वाला होता है, उस पर भी हमले होते हैं, चाहे वह भंवरी देवी का किस्सा हो या अभी हाल ही में ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप इसी इश्यु पर बोलिए।

प्रो० अलका क्षत्रिय: उपसभापति महोदय, मैं इसी इश्यु पर आ रही हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: इतना वक्त सदन के पास नहीं है। ...(व्यवधान)...

प्रो० अलका क्षत्रिय: उपसभापति महोदय, गत मंगलवार के दिन मध्य प्रदेश के भानगढ़ गांव के अंदर महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक शकुंतला वर्मा, उसने बाल विवाह रोकने के लिए काम किया। वह अपनी ड्यूटी कर रही थी, उसके कार्य से नाराज होकर एक अज्ञात व्यक्ति ने उस पर हमला करके, उसके दोनों हाथ काट दिये।

उपसभापति महोदय, राज्य सरकार उस महिला अधिकारी को प्रोटेक्शन देने में असफल रही थी, लेकिन अपनी असफलता को और मामले की गंभीरता को छिपाने के लिए सरकार इस बात को बदलना चाहती है, उसे दूसरा मोड़ देना चाहती है। सरकार कहती है कि यह तो इनकी आपसी रंजिश थी। उपसभापति महोदय, इतना ही नहीं, बढ़वा के अंदर...

श्री उपसभापति: अब आप समाप्त कीजिए।

प्रो० अलका क्षत्रिय: वहां के सामाजिक न्याय मंत्री की मौजूदगी में बाल विवाह होता है। ऐसे मंत्री को निकालने के बजाय।

श्री उपसभापति: आप रिपीट मत कीजिए। ...(व्यवधान).... मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत से मेम्बर्स बोलने वाले हैं, आप संक्षेप में बोलिये। ...(व्यवधान).... आप भाषण मत कीजिये। ...(व्यवधान)....

प्रो० अलका क्षत्रिय: बीच में इंटरैप्ट नहीं करें, तो मेरी बात जल्दी खत्म हो जायगी। ...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति: यह बात सही नहीं है। चेयर से कुछ बोला जा रहा है, तो उसे आप सुनिये। आप रिप्लेट मत करिये। अब आप जल्दी से जल्दी खत्म करिये।

प्रो० अलका क्षत्रिय: उपसभापति महोदय, वहां के सामाजिक और न्याय मंत्री को निकालने के बजाय वहां * यह कहते हैं कि अगर गांधी जी भी इस बुराई को नहीं मिट सकें, तो मैं कौन होता हूं। पूरी दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए क्या किया था।... (समय की घंटी)... इसीलिए मैं आपके माध्यम से...।

श्री उपसभापति: श्रीमती मोहसिना किदवाई।... (व्यवधान)...

प्रो० अलका क्षत्रिय: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि असमर्थता व्यर्थ करने वाले * निकाल देना चाहिए। हमें भी मिलकर ऐसा कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई ऐसा काम करता है, तो उसे तुरन्त अपने पद से हटा देना चाहिए। इतना ही नहीं, ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा काम न करे और शकुंतला वर्मा को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग करती हूं। धन्यवाद।

श्रीमती मोहसिना किदवाई (छत्तीसगढ़): बहुत-बहुत शुक्रिया उपसभापति जी। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। पहली बात तो यह है कि आपने यह कहा कि * नाम नहीं लेना चाहिए। इसमें सवाल किसी पब्लिक के आदमी का नहीं है, इसमें सवाल यह है कि वह महिला गवर्नमेंट आफिसर थी, जिसके हाथ काटे गये, तो यह एक गवर्नमेंट आफिसर की इयूटी थी, जो इयूटी बजा रही थी और उस इयूटी को करने के नाते उसके हाथ काटे गये। यह सबसे बड़ा मामला है बजाय इसके कि * कोई स्टेप्स लेते और उन्होंने इस तरह की बात कही है। * को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि महात्मा गांधी का वक्त सौ वर्ष पहले का था, जिस वक्त किसी की हिम्मत इन चीजों पर बोलने की नहीं पड़ती थी, उस वक्त गांधी जी ने इसके बारे में कहा। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूं। दूसरा, सबसे बड़ा अहम सवाल है कि यह कानून बना हुआ है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शादी नहीं होगी। जब वहां बच्चों की शादियां हो रही थी, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वहां एक मंत्री का शामिल होना, यह सबसे बड़ी बात है। ये दो अहम चीजें हैं और इनके बारे में सोचना चाहिए। और वहां की सरकार को हाउस के जरिए, या जो भी तरीका हो, यह मैसेज जाना चाहिए कि यह गलत तरीका है एक गवर्नमेंट ऑफिसर, जो अपनी इयूटी पर थी, उसमें मंत्री का शामिल होना और * यह कहना मैं समझती हूं कि कानून बहुत बने हुए हैं लेकिन कानून वही माने जाते हैं जिनकी ऐक्स्पैटेंस पब्लिक को होती है हालांकि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादियां कम होने लगी हैं लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में होती हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि वहां मंत्री की मौजूदगी और किसी छोटे कर्मचारी के साथ इतना बड़ा जुर्म होना, ये दो बहुत अहम चीजें हैं।

*Expunged as ordered by the Chair.

محترمہ محسنہ قدوائی ”چھتیس گڑھ“: بہت بہت شکریہ، آپ سہا پتی جی۔ اس میں دو بہت اہم چیزیں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ * کا نام نہیں لینا چاہئے۔ اس میں سوال کسی پبلک کے آدمی کا نہیں ہے، اس میں سوال یہ ہے کہ وہ مہیلا گورنمنٹ آفیسر تھی، جس کے ہاتھ کاٹے گئے، تو یہ ایک گورنمنٹ آفیسر کی ڈیوٹی تھی، جو ڈیوٹی بجا رہی تھی اور اس ڈیوٹی کو کرنے کے ناطے اس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ یہ سب سے بڑا معاملہ ہے۔ بجائے اس کے کہ * کوئی اسٹپس لیتے اور انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ * کو جو اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ مہاتما گاندھی کا وقت سو سال پہلے کا تھا، جس وقت کسی کی ہمت ان چیزوں پر بولنے کی نہیں پڑتی تھی، اس وقت گاندھی جی نے اس کے بارے میں کہا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں۔

دوسرا، سب سے بڑا اہم سوال ہے کہ یہ قانون بنا ہوا ہے کہ ۱۸ سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی نہیں ہوگی۔ جب وہاں بچوں کی شادیاں ہو رہی تھیں تو اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ وہاں ایک منتری کا شامل ہونا، یہ سب سے بڑی بات ہے یہ دو اہم چیزیں ہیں اور ان کے بارے میں سوچنا چاہئے۔ اور وہاں کی سرکار کو ہاؤس کے ذریعہ یا جو بھی طریقہ ہو یہ میسج جانا چاہئے کہ غلط طریقہ ہے۔ ایک گورنمنٹ آفیسر جو اپنی ڈیوٹی پر تھی، اس میں منتری کا شامل ہونا اور * کا یہ کہنا، میں سمجھتی ہوں کہ قانون بہت بہتے ہوئے ہیں لیکن قانون وہی مانے جاتے ہیں جن کی ایکسیپٹینس پبلک کو ہوتی ہے۔ حالانکہ ۱۸ سال سے کم عمر کی لڑکیوں کی شادیاں کم ہونے لگی ہیں لیکن مدھیہ پردیش اور راجستھان میں ہوتی ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں منتری کی موجودگی اور کسی چھوٹے کرپجاری کے ساتھ اتنا بڑا جرم ہونا یہ دو بہت اہم چیزیں ہیں۔

٪ ”ختم شد“

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, the whole House joins her.

*Expunged as ordered by the Chair.

†Transliteration in Urdu Script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is what I am saying ...*(Interruptions)*... The entire House is unanimous on this issue. Why does everybody want to speak on this issue?

डा० कुमकुम राय (बिहार): मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक सरकारी कर्मचारी को संरक्षण देने का जो दायित्व वहाँ की सरकार पर था, उन्होंने अपने हथियार पहले ही डालते हुए अपनी अक्षमताओं को मान लिया है हम उस अक्षमता की भर्त्सना करते हैं और शकुंतला देवी ने जिस बाल विवाह को रोकने के लिए अपने दोनों हाथों की आहुति दी है, उन्होंने जो न्यायिक जांच और उसको मुआवजा देने की बात रखी है, उसका समर्थन करते हैं। साथ ही साथ मैं अपनी सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि बाल विवाह निवारण अधिनियम, जो कानून हमारा बना हुआ है, उसमें जरूर कुछ कमज़ोरियाँ हैं जिनके कारण हर साल जो अक्षय तृतीय के दिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में हर साल बाल विवाह जैसी ...*(व्यवधान)*... रस्म निभाई जाती है और सामाजिक कुरीति को बढ़ावा दिया जाता है ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: मिनिस्टर रिप्लैट करेंगे। ऑनरेबल मिनिस्टर ...*(व्यवधान)*...

डा० कुमकुम राय: उस कानून में जो कमियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए संशोधन करना चाहिए और हम अपनी सरकार से यह आग्रह करते हैं कि उस कानून को फिर से बनाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: मिनिस्टर रिप्लैट करेंगे, आप उसके बाद ...*(व्यवधान)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I want to speak. I have given my name.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, if everybody starts speaking like this ...*(Interruptions)*... Please sit down. The point is, the House is aware of the entire issue. Every hon. Member is raising the same issue. I am requesting all of you ...*(Interruptions)*...

डा० प्रभा ठाकुर (राजस्थान): सर, मैं कुछ अलग कहना चाहती हूँ।

श्री उपसभापति: ठीक है, उसके बाद कीजिएगा। आप रूल्स को तो फालो कीजिए। यह विषय गंभीर है, हरेक मੈबर यही कह रहा है कि यह गंभीर विषय है।

The hon. Member said that the whole House is expressing its sentiments. इसलिए इसमें हर मੈबर को, जितने भी यहां मौजूद हैं, अपनी राय देने की जरूरत नहीं है। मैं मिनिस्टर साहब से यह कह रहा हूँ कि पहले वे रिप्लैट करें, उसके बाद अगर कुछ है तो रिप्लैट करेंगे। Please cooperate with me ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VANGA GEETHA (Andhra Pradesh): Sir, I want to take only one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; please cooperate with me. ...*(Interruptions)*... The Minister is going to react.

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: इतनी महिलाओं ने बोला है, उन्हें भी समय दे दीजिए।
...(व्यवधान)...

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (हरियाणा): सर, पूरा सदन...(व्यवधान)....

श्री उपसभापति: देखिए, इसमें मैं नहीं समझता कि क्यों इतना रिएक्ट...(व्यवधान) क्योंकि जब पूरा हाउस इसके साथ है, मिनिस्टर को रिएक्ट करने दें।...(व्यवधान)...

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक: मध्य प्रदेश में हुआ है...(व्यवधान) अपराध हुआ और अपराध में मंत्री शामिल हैं...(व्यवधान) आपका आदेश शिरोधार्य है लेकिन मैं आपके माध्यम से केवल इतना अनुरोध करना चाहता हूँ कि मंत्री जी जब रिएक्ट करेंगे तो इन बिन्दु पर भी रिएक्ट करें कि जो संवैधानिक संकट मध्य प्रदेश में खड़ा हुआ है, केन्द्र सरकार उसे गंभीरता से लेकर संविधान को कुचलने से रोकने के लिए मध्य प्रदेश के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी?

श्री राजीव शुक्ल: असली बात यह है कि कार्यवाही क्या होगी?...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अभी मिनिस्टर साहब ने रिएक्ट भी नहीं किया है...(व्यवधान) आपने डिमांड की है न...(व्यवधान) देखिए, ऑनरेबल मिनिस्टर...(व्यवधान) Let the hon. Minister speak. ...(Interruptions)... The Minister will react to it ...(Interruptions)...

श्री राजीव शुक्ल: मंत्री जी कार्यवाही का आश्वासन दे दें।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, he himself is from Madhya Pradesh.
...(Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister is going to react.

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): आदरणीय उपसभापति महोदय, ग्राम भानगढ़, तहसील सरदारपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश में दस मई 2005 को रात्रि के साढ़े सात बजे के करीब महिला एवं बाल विकास विभाग में सेवारत सुपरवाइज़र श्रीमती शकुंतला वर्मा पर जो जानलेवा हमला हुआ है, उसके सिलसिले में जो सम्मानित सदस्यों ने क्रोध जाहिर किया है, वह घटना निःसंदेह निन्दनीय और दुर्भाग्यजनक है। मेरी कल मुख्य मंत्री जी से मध्य प्रदेश के संबंध में चर्चा हुई थी और जिला धार के कलैक्टर से भी दूरभाष पर चर्चा हुई थी। आज यह जो मुद्दा उठा है, उससे तीन सवाल खड़े हुए हैं पहला बाल-विवाह से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो महिला सुपरवाइज़र हैं, श्रीमती शकुंतला वर्मा, उन पर प्राणघातक हमले से जुड़ा हुआ है और तीसरा राज्य सरकार के द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई या नहीं, इससे जुड़ा हुआ है।...(व्यवधान)

मौलाना अबैदुल्लाह खान आज़मी: राज्य सरकार के उसमें शामिल होने से भी जुड़ा हुआ है।

† [مولانا عبید اللہ خان اعظمی : راجیہ سرکار کے اس میں شامل ہونے سے بھی جڑا ہوا ہے۔]

श्री सुरेश पचौरी: मान्यवर, जहां तक बाल-विवाह से जुड़ा हुआ मामला है, यह बात सही है कि 11 मई, आखा तीज, अक्षय तृतीया का अवसर था, उस समय सामूहिक विवाह होते हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, बाल-विवाह रोकने के अभियान के अंतर्गत ज़िले भर में कार्यवाही की जा रही थी। अब उस समय क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वह इस हमले की घटना से अलग है, लेकिन जो खास बात है, वह हमले की है। उसमें मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट मुझे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और धार के कलेक्टर के द्वारा भेजी गई है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हमलावरों के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 121/05 धारा 307, 457 भारतीय दंड संहिता के अनुसार दर्ज कर लिया गया है, पंजीबद्ध कर लिया गया है। दूसरा, जहां तक राज्य सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं, मैं यह बताना चाहता हूँ कि घटनास्थल पर, जैसा कि वहां के कलेक्टर ने भी मुझे बताया कि पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक, एस०डी०एम—ये सब वहां कैम्प पर पहुंच चुके हैं और उक्त महिला को, जो इन्दौर के निजी चिकित्सालय है “गोदुलदास” में भरती करा दिया गया है। वहां जो vascular Surgeon, डा० अनिल गर्ग के निर्देशन में दस घंटे तक उनकी सफलतापूर्वक सर्जरी की गई है और इस पूरे इलाज का खर्च, लगभग तीन लाख रुपए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा उतारा गया है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि किसी पर जानलेवा हमला हो, तो जो खर्च उठाया जाए, उसमें मैं इसको कम्पनसेट करूँ क्योंकि दुर्भाग्यजनक घटना तो दुर्भाग्यजनक होती है और तीन लाख देने से कुछ नहीं होता, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से बग़ कदम उठाए गए, सम्मानित सदस्य यह जानना चाहते थे।

मान्यवर, जहां तक यह बात आती है, जैसा कि सम्मानित सदस्य ने कहा कि केंद्र सरकार इस संबंध में क्यों नहीं कुछ कर रही है, तो केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है और केंद्र सरकार एक्शन में तभी आती है जब राज्य सरकार की ओर से कोई रिपोर्ट आ जाती है। हम केंद्र सरकार की ओर से यही कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और हम यह अपेक्षा करते हैं कि राज्य सरकार, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया है, उन्होंने भी इसको गंभीरता से लिया है। यदि कोई कमी पाई जाएगी तो केंद्र सरकार इस दिशा में निस्संदेह पहल करेगी! ... (व्यवधान)...

SHRI JANARDHANA POOJARY: Sir, he has not stated whether the accused has been arrested or not. (Interruptions) Nothing has been stated. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Has any arrest been made? ... (Interruptions)...

SHRI RAJEEV SHUKLA: I want to know from the hon. Minister whether any arrest has been made or not. ... (Interruptions)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister will get the information from the State Government and inform the House. ...*(Interruptions)*... Calling Attention, Shri A. Vijayaraghavan. ...*(Interruptions)*... Calling Attention, please, ...*(Interruptions)*... Mr. Vijayaraghavan, just one minute. ...*(Interruptions)*... There is some other notice. ...*(Interruptions)*... Shri Tarlochan Singh. ...*(Interruptions)*...

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी (मध्य प्रदेश): सरकार यह बताए कि क्या कोई मंत्री वहां मौजूद था, मेरा सवाल खत्म हो गया। ...*(व्यवधान)*... सरकार सिर्फ यह बता दे, तो मेरा सवाल खत्म हुआ। मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ। ...*(व्यवधान)*...

[मौलाना अब्दुल्लाह खान اعظمی: سرکار یہ بتائے کہ کیا کوئی منتری وہاں موجود تھا، میرا سوال ختم ہو گیا]مداخلت..... سرکار صرف یہ بتادے تو میرا سوال ختم ہوا۔ میں صرف یہی جاننا چاہتا ہوں.....مداخلت.....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: मलिक साहब बैठिए। ...*(व्यवधान)*... Mr. Minister, they want to know whether any State Government Minister was present there. ...*(Interruptions)*... कोई मंत्री वहां मौजूद था घटनास्थल पर? ...*(व्यवधान)*...

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी: मेरे सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*...

[†मौलाना अब्दुल्लाह खान اعظمی: میرے سوال کا سیدھا جواب دیدیتے۔.....مداخلت.....]

श्री उपसभापति: वे दे रहे हैं।

श्री सुरेश पचौरी: सर, अक्षय तृतीया यानी आखा तीज के अवसर पर 11 मई, 2005 को जिला धार में सामूहिक बाल-विवाह का आयोजन किया गया था। उस अवसर पर कौन मौजूद थे, कौन नहीं थे, मैं इस बात की जानकारी राज्य शासन से ले लूंगा। जो दूसरा प्रश्न उठा है, कि यह प्रकरण आई०पी०सी० की धारा के अंतर्गत दर्ज तो कर दिया गया है, इसमें कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं, आप आंसदी से यह जानना चाहते हैं। मैंने कल देर रात्रि तक कलैक्टर से बात की थी, वे हमलावरों की बहुत तेजी से तलाश कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है ...*(व्यवधान)*...

श्री विजय जे. दर्डा: (महाराष्ट्र): उनको तलाश कर लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: आप बोलिए। देखिए, ...*(व्यवधान)*... आप बैठिए, दर्डा साहब। ...*(व्यवधान)*...

श्री सरला माहेश्वरी: वे भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और वे भी एक सरकारी कर्मचारी हैं। फिर उनको क्यों नहीं इस्तीफा दे देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*... वे भी मंत्री हैं ...*(व्यवधान)*...

श्री उपसभापति: प्लीज आप बैठिए, दर्डा साहब। ...*(व्यवधान)*... आप बोलिए। ...*(व्यवधान)*...

†Transliteration in Urdu Script.

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): उपसभापति जी, योरा एक निवेदन है कि ... (व्यवधान) ... सारे सदन की भावना को देखते हुए, आज सदन उठने से पहले... (व्यवधान)

श्री उपसभापति: बैठिए, प्लीज। प्लीज सिट डाउन। ... (व्यवधान) ... प्लीज फॉलो ... (व्यवधान) ... वे बात कर रहे हैं ... (व्यवधान) ... आप उठकर क्या कहेंगे? आज जरा बैठिए।

श्री आनन्द शर्मा: सरकार वहां के प्रशासन से जांच करके यह बताए, गवर्नर से बात करके, गृह मंत्री आज सदन को यह बताएं कि इस पर क्या कार्यवाही हो रही है, और गिरफ्तारी के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं? यह जानकारी आवश्यक है। ... (व्यवधान) ...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: इस तरह से खामोश नहीं रहा जाएगा। ... (व्यवधान) ... महात्मा गांधी के बाद हमारे समाज में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर भी हुए हैं, राजा राम मोहन राय भी हुए हैं। ... (व्यवधान) ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Government has already reacted to it. Beyond that the Chair cannot do anything. They have said that they would collect the information. Beyond that nothing can be done. (Interruptions). देखिए जब इश्यु आएगा, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपना रिएक्शन दिया है। ... (व्यवधान) ...

प्रो० अलका क्षत्रिय: यदि वहां के मंत्री शामिल हैं तो ... (व्यवधान) ...

श्री उपसभापति: आप जरा सुनिए। आप भी इस हाउस के सीनियर मੈम्बर हैं, गवर्नमेंट जब रिएक्ट करती है, जब मंत्री जी ने कहा है कि इन दोनों विचारों के बारे में क्या वहां पर कोई मंत्री थे, क्या कोई गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके पास कोई इन्फोर्मेशन है, ... (व्यवधान) ...

श्री विजय जे० दर्डा: हमारे पास है। ... (व्यवधान) ...

श्री उपसभापति: आपके पास होगी, गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है। अगर गवर्नमेंट के पास इन्फोर्मेशन नहीं है तो वह इन्फोर्मेशन लेकर मालूम कराएगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। ... (व्यवधान) ...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: उस मंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए। ... (व्यवधान) ...

SHRI VIJAY J. DARDA: Sir, this is a very serious issue. ... (Interruptions) ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Government has reacted to it. आप बोलिए, दर्डा जी प्लीज, आप बैठिए। ... (व्यवधान) ... शुक्ला जी ... (व्यवधान) ... देखिए, अलका जी वह जो बोल रहे हैं, उतना ही बोलेंगे और भाषण दिए तो भी उतना ही कहेंगे इसलिए आप बैठ जाइए।